

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एल.)

जसवीर कौर आदि बनाम रणजीत सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 88, 188, 92, 91ए आरटीए मुकदमा नं. 19/2019

निर्णय दिनांक :- 04.07.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री सतवीर कुमार व प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 2) के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार योग्य होने पर स्वीकार किया जाकर वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92, 91ए खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 04.07.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एल.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायती	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	00	योग	04	00



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एल.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर